

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, म0प्र0

प्रकरण क्रमांक : 37/2015 मु.फौ.

संस्थापन दिनांक : 23.12.2015

1. श्रीमती भूरी बाई पत्नि बन्टी पुत्री मोहर सिंह, आयु 22 वर्ष, जाति बघेल, निवासी ग्राम कुलैथ, थाना तिघरा, जिला ग्वालियर, म0प्र0 हाल निवासी ग्राम लहचूरा, थाना मालनपुर, परगना गोहद, जिला भिण्ड, म0प्र0

– आवेदिका

बनाम

बन्टी पुत्र हुकुम सिंह, आयु-24 वर्ष, जाति बघेल, निवासी ग्राम कुलैथ, थाना तिघरा, तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0

– अनावेदक

(आवेदन अंतर्गत धारा 125 द.प्र.स.)

(आवेदिका द्वारा अधिवक्ता श्री एम.पी.एस. राणा)

(अनावेदक-श्री जी.एस. निगम)

आदेश

(आज दिनांक 04-05-2018 को पारित)

1. इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 125 द0प्र0सं0 का निराकरण किया जा रहा है।
2. संक्षेप में आवेदन इस प्रकार है कि, आवेदिका अनावेदक की विवाहित पत्नी है। आवेदिका का विवाह अनावेदक के साथ आवेदन प्रस्तुत करने के करीब चार वर्ष पूर्व ग्राम लहचूरा परगना गोहद में सम्पन्न हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद से ही अनावेदक एवं अनावेदक की मां बादामी बाई, बहन बैकुण्ठी बाई एवं बहनाई गब्बर सिंह दहेज की मांग को लेकर आवेदिका का शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। अनावेदक एवं उसके परिजन आवेदिका से कहते थे कि तुम्हारे पिता ने शादी में मोटरसाईकिल नहीं दी है। तुम अपने पिता से मोटरसाईकिल लेकर आओ, तभी तुम्हे रखेंगे। समाज की पंचायत ने भी अनावेदक एवं उसके परिजनों को समझाया था परन्तु अनावेदक एवं उसके परिजन नहीं माने थे तथा आवेदिका को हैरान परेशान करते रहे थे, उन्होंने आवेदिका को समय पर खाना एवं कपड़ा देना भी बंद कर दिया था जिसकी शिकायत आवेदिका ने अपने माता-पिता से की थी तो आवेदिका के माता-पिता ने

आवेदिका से अनावेदक एवं उसके परिजनों को समझाने के लिए कहा था। रक्षाबंधन के अवसर पर आवेदिका का भाई रंजीत आवेदिका को लेने उसकी ससुराल गया था तो अनावेदक एवं उसके परिजनों ने आवेदिका के भाई से आवेदिका को रखने से मना कर दिया था तब आवेदिका अपने भाई के साथ अपने माता-पिता के घर ग्राम लहचूरा आ गई थी तभी से आवेदिका अपने माता-पिता के साथ अपने मायके में रह रही है। आवेदिका के पास भरणपोषण का कोई साधन नहीं है। आवेदक 24 वर्षीय नवयुवक होकर हस्तपुष्ट व्यक्ति है। अनावेदक के पास खेती एवं जमीन है जिससे वह 30 हजार रुपए की फसल उगाता है। अनावेदक मिठाई बनाने का काम भी जानता है एवं हलवाई की दुकान पर ग्वालियर शहर में काम करता है, जहां से उसे 10-12 हजार रुपए आय प्राप्त होती है एवं अनावेदक को वार्षिक एक लाख बीस हजार रुपए की आय होती है। अनावेदक वर्ष में लगभग 1 लाख 50 हजार रुपए की आय अर्जित करता है। अनावेदक आवेदिका का भरणपोषण नहीं करता है। आवेदिका अनावेदक के साथ रहकर जीवन निर्वाह करना चाहती है लेकिन अनावेदक अपनी मां, बहन एवं बहनोई के बहकावे में आकर आवेदिका को साथ नहीं रखता है अतः आवेदिका को अनावेदक से तीन हजार रुपए प्रतिमाह भरणपोषण के रूप में दिलाये जावे।

3. अनावेदक द्वारा उक्त आवेदन का खण्डन करते हुए उत्तर आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि अनावेदक की शादी आवेदिका के साथ दिनांक 21.04.2004 को सम्पन्न हुई थी। शादी होने के बाद से दिनांक 15.05.2013 तक अनावेदक एवं उसके परिवार वालों ने कभी भी आवेदिका से दहेज की मांग की है और न ही आवेदिका को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। आवेदिका की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है फिर भी अनावेदक एवं उसके परिवार वालों ने आवेदिका को अपने साथ रखा था किन्तु आवेदिका स्वेच्छा से दिनांक 15.05.2013 को अपने पिता के यहां चली गई थी तब से वह बापिस नहीं आई है। आवेदिका की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण अनावेदक ने उसका इलाज भी कराया था किन्तु आवेदिका की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसने अनावेदक के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वहन नहीं किया है। आवेदिका को लेने उसके पिता मोहरसिंह आये थे एवं मोहरसिंह ने अनावेदक के परिवार वालों से अपमानजनक बातें की थी एवं जबरदस्ती आवेदिका को लेकर ग्राम कुलैथ चला गया था तब से अनावेदक कई बार आवेदिका को लेने गया है लेकिन आवेदिका नहीं आई है। आवेदिका स्वेच्छा से अपने पिता के घर निवास कर रही है। यदि आवेदिका दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करे तो अनावेदक उसका भरणपोषण करने के लिए तैयार है। आवेदिका द्वारा असत्य आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।
4. उपरोक्त अवलोकन से इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं कि :-
 1. क्या आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक निवासरत हैं ?
 2. क्या आवेदिका अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं ?
 3. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
 4. क्या अनावेदक द्वारा आवेदिका का भरण पोषण किये जाने में उपेक्षा बरती जा रही है ?
5. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में आवेदिका की ओर से स्वयं आवेदिका भूरीबाई अ0सा0 1, साक्षी मीराबाई अ0सा0 2 एवं रंजीत अ0सा0 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि अनावेदक की ओर से स्वयं अनावेदक बंटी अना0सा0 1 एवं हुकुमसिंह अना0सा0 2 को परीक्षित कराया गया है।

// निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण //

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 //

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका भूरीबाई अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसकी शादी अनावेदक बंटी से दावा प्रस्तुत करने के लगभग चार साल पहले हुई थी। विवाह के बाद से उसका पति, सास बादामी बाई, ननद बैकुण्ठी बाई और नंदेउ गब्बर सिंह उसे परेशान करने लगे थे तथा उससे दहेज की मांग करने लगे थे और उसे मानसिक रूप से भी परेशान करते थे। उसका पति, ननद एवं नंदेउ और उसकी सास उससे शादी में मोटरसाईकिल लाने के लिए कहते थे। समाज के लोगों ने अनावेदक एवं उसके परिजनों को समझाया था परन्तु वह लोग नहीं माने थे। उसके पति व ससुराल वालों ने उसे पहनने के लए कपड़े एवं खाना देना बंद कर दिया था फिर उसने अपने पिता को सारी बातें बताई थी तब उसके पिताने कहा था कि उन्हें समझा देगे। उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो ढाई साल पहले रक्षाबंधन के त्योहार पर उसका भाई रंजीत उसे लेने गया था तो अनावेदक ने कहा था कि आवेदिका के बच्चा नहीं होता है, इसे रखकर क्या करेंगे फिर वह अपने भाई के साथ अपने माता-पिता के घर आ गई तब से वह अपने माता-पिता के यहां रह रही है।
7. प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 4 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी शादी हुए तेरह वर्ष हो गये हैं एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसकी शादी 21 अप्रैल 2004 को हुई थी तथा तीन साल पहले रक्षाबंधन के दिन उसका भाई रंजीत सिंह उसे लेकर आया था तब से वह अपने मायके में रह रही है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह बंटी की मर्जी से ग्राम लहचूरा आई थी तथा यह भी स्वीकार किया है कि तब से वह बंटी के घर नहीं गई है। उसके पिता उसे सही ढंग से रखे हुए हैं। उसके पिता उसे भेजने को तैयार है लेकिन अनावेदक उसे ले जाने के लिए तैयार नहीं है।
8. आवेदिका साक्षी मीराबाई अ0सा0 2 एवं रंजीत अ0सा0 3 ने भी आवेदिका के कथनो का समर्थन किया है एवं अनावेदक एवं उसके परिजना द्वारा आवेदिका से दहेज की मांग करने तथा उसे परेशान करने बावत् प्रकटीकरण किया है।
9. अनावेदक बंटी अना0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया गया है कि शादी के बाद से ही आवेदिका भूरी दस दिन उसके यहां रहती थी फिर मायके चली जाती थी। भूरी के माता-पिता उसे ससुराल में रहने नहीं देते थे। भूरी गर्भवती हुई थी तो भूरी की मां ने भूरी का गर्भपात करा दिया था। उसने भूरी को रखने की कोशिश की थी। भूरी का भाई रंजीत उसके यहां से भूरी को लेकर आया था तब से भूरी अपने मायके में रह रही है उसने भूरी से कभी भी कोई दहेज की मांग नहीं की है।
10. अनावेदक साक्षी रामवती अना0सा0 2 ने भी अनावेदक बंटी अना0सा0 1 के कथन का समर्थन किया है तथा व्यक्त किया है कि आवेदिका घर का काम नहीं करती थी, खाना नहीं बनाती थी तथा मायके भागती थी।
11. तर्क के दौरान आवेदिका अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक एवं उसके परिजनो द्वारा आवेदिका से दहेज की मांग की जाती थी एवं उसे प्रताड़ित किया जाता था तभी आवेदिका अपने मायके में निवास कर रही है जबकि तर्क के दौरान अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उनके द्वारा कभी भी आवेदिका से दहेज की मांग नहीं की गई थी। आवेदिका अपनी मर्जी से अपने मायके में निवासरत है।

12. आवेदिका भूरीबाई अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि शादी के बाद से ही अनावेदक एवं उसके परिवार वाले आवेदिका से दहेज में मोटरसाईकिल अपने मायके से लाने के लिए कहने लगे थे तथा न लाने पर उसे परेशान करते थे। अनावेदक ने उससे यह भी कहा था कि तुम्हें बच्चा नहीं होता है इसीलिए तुम्हें रखकर क्या होता है फिर वह अपने भाई रंजीत के साथ अपने मायके आ गई थी तब से वह अपने मायके में रह रही है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी शादी को 13 वर्ष हो चुके हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि भूरीबाई अ0सा0 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में उसकी शादी चार साल पहले होना बताया है जबकि प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि उसकी शादी को 13 वर्ष हो चुके हैं। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भूरीबाई अ0सा0 1 के कथन अपने परीक्षण के दौरान किंचित विरोधाभाषी रहे हैं परन्तु उक्त विरोधाभाष तात्त्विक नहीं है। आवेदिका भूरीबाई अनपढ़ ग्रामीण महिला है ऐसी स्थिति में भूरीबाई को विवाह का समय निश्चित तौर पर याद न होना स्वाभाविक है एवं उक्त विरोधाभाष से आवेदन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।
13. आवेदिका भूरीबाई अ0सा0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि वह अनावेदक की मर्जी से अपने मायके आई है तब से वह अनावेदक के घर नहीं गई है इस प्रकार आवेदिका भूरीबाई अ0सा0 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह अनावेदक की मर्जी से ही मायके आई थी परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसके पिता उसे भेजने को तैयार है लेकिन अनावेदक उसे ले जाने को तैयार नहीं है। आवेदिका के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि आवेदिका अपने ससुराल जाना चाहती है परन्तु अनावेदक द्वारा न ले जाने के कारण वह मजबूरी में अपने मायके में निवासरत है।
14. जहां तक मीराबाई अ0सा0 2 एवं रंजीत अ0सा0 3 के कथन का प्रश्न है तो मीराबाई अ0सा0 2 ने भी आवेदिका के कथन का समर्थन किया है तथा व्यक्त किया है कि अनावेदक एवं उसके परिवारजन उसकी लड़की से अपने पिता के यहां से गाड़ी लाने के लिए कहते थे तथा उसे परेशान करते थे, इसी क्रम में रक्षाबंधन के दो-चार दिन पहले अनावेदक भूरीबाई को मायके छोड़ गया था तब से वह उसे लेने नहीं आया। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी लड़की पागल है तथा यह भी स्वीकार किया है कि शादी के समय उसने बता दिया था कि उसकी लड़की कम दिमाग की है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि मीराबाई अ0सा0 2 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आवेदिका कम दिमाग की है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण भरणपोषण की कार्यवाही से संबंधित है एवं अनावेदक ने आवेदिका को उसकी विवाहिता पत्नी होना स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में मीराबाई अ0सा0 2 के कथन से भी उक्त आवेदन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।
15. आवेदक साक्षी रंजीत अ0सा0 3 ने भी आवेदिका भूरीबाई अ0सा0 1 के कथन का समर्थन किया है एवं अनावेदक द्वारा भूरी की मारपीट करने बावत् प्रकटीकरण किया है। उक्त साक्षी का अनावेदक अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।
16. अनावेदक बंटी अना0सा0 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया गया है कि आवेदिका भूरी ससुराल में नहीं रहती थी, उसके माता-पिता उसे ससुराल में नहीं रहने देते थे तथा यह भी व्यक्त किया गया है कि भूरी की मां ने भूरी का गर्भपात करा दिया था परन्तु उक्त संबंध में कोई चिकित्सकीय प्रमाण अनावेदक की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनावेदक बंटी अना0सा0 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आवेदिका भूरी ससुराल में

नही रहती थी तथा भूरी के माता-पिता भूरी को ससुराल में नहीं रहने देते थे जबकि अनावेदक साक्षी रामवती अना0सा0 2 जो अनावेदक की मां है, ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 3 में यह स्वीकार किया है कि आवेदिका तो आना चाहती है किन्तु वह कुछ करती नहीं है इस कारण वह लोग आवेदिका को नहीं लाना चाहती है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर अनावेदक बंटी अना0सा0 1 एवं रामवती अना0सा0 2 के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं तथा साक्षी रामवती अना0सा0 2 के कथन से यही प्रकट होता है कि अनावेदक एवं उसके परिजन आवेदिका को नहीं रखना चाहते हैं।

17. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका भूरीबाई अ0सा0 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक एवं उसके परिजन उससे दहेज की मांग करते थे तथा उसे परेशान करते थे एवं बच्चा न होने के कारण उसे ताने देते थे तथा बच्चा न होने के कारण अनावेदक ने उसे रखने से इंकार कर दिया था तब से वह अपने मायके में रह रही है। आवेदिका साक्षी मीराबाई अ0सा0 2 एवं रंजीत अ0सा0 3 द्वारा आवेदिका भूरीबाई अ0सा0 1 के कथन का समर्थन किया गया है। अनावेदक की ओर से उक्त सभी साक्षियों का पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षियों के कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्त्विक विरोधाभासों से परे रहे हैं। आवेदिका भूरीबाई अ0सा0 1 के कथन तात्त्विक मूल भरणपोषण के आवेदन से भी पुष्ट रहा है। अनावेदक साक्षी रामवती अना0सा0 2 ने भी आवेदिका भूरीबाई अ0सा0 1 के कथनों की ही पुष्टि की है एवं व्यक्त किया है कि वह लोग आवेदिका को नहीं रखना चाहते हैं। अनावेदक द्वारा आवेदिका के कथनों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण में आई साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि दहेज की मांग की पूर्ति न होने के कारण एवं आवेदिका के बच्चा न होने के कारण अनावेदक द्वारा आवेदिका का परित्याग कर दिया गया है इसी कारण आवेदिका अनावेदक से पृथक अपने मायके में निवास कर रही है। अतः प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक निवासरत है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-02 //

18. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका भूरीबाई अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसके पास आय का कोई साधन नहीं है एवं उसके माता-पिता के पास भी आय का कोई साधन नहीं है। आवेदिका साक्षी मीराबाई अ0सा0 2 एवं रंजीत अ0सा0 3 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि भूरीबाई पढ़ी लिखी नहीं है, वह कोई काम नहीं जानती है।
19. अनावेदक बंटी अना0सा0 1 ने भी अपने मुख्य परीक्षण के पद क्र0 2 में यह व्यक्त किया है कि भूरी पढ़ी लिखी नहीं है, वह कोई काम नहीं जानती है। साक्षी रामवती अना0सा0 2 का भी यही कहना है कि भूरी पढ़ी लिखी नहीं है, वह कोई काम नहीं जानती है।
20. इस प्रकार आवेदिका भूरी अ0सा0 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। आवेदिका भूरीबाई अ0सा0 1 के कथनों से यह दर्शित है कि आवेदिका भूरीबाई अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है। आवेदिका भूरीबाई के कथन का समर्थन आवेदिका साक्षी मीराबाई अ0सा0 2 एवं रंजीत अ0सा0 3 तथा अनावेदक बंटी अना0सा0 1 एवं रामवती अना0सा0 2 द्वारा भी किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त बिंदु पर आयी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि आवेदिका अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-03 //

21. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका भूरीबाई आ0सा01 ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि अनावेदक मिठाई बनाने का काम करता है तथा उक्त कार्य से वह पांच हजार रुपए प्रतिमाह कमा लेता है। अनावेदक के पास पांच बीघा जमीन है जिससे उसे वार्षिक ढेड़ लाख रुपए की आय होती है। आवेदिका साक्षी मीराबाई अ0सा0 2 ने भी अपने कथन में यह व्यक्त किया है अनावेदक बंटी महीने में दस-बीस हजार रुपए कमा लेता है। साक्षी रंजीत अ0सा0 3 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि बंटी हलवाई की दुकान पर काम करता है जिससे उसे 10-12 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। बंटी के पास दस बीघा जमीन है जिससे बंटी को एक फसल में तीस हजार रुपए मिल जाते हैं।
22. अनावेदक बंटी अना0सा0 1 द्वारा उक्त कथन का खण्डन किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि वह मजदूरी से पांच हजार रुपए प्रतिमाह कमा लेता है। साक्षी रामवती अना0सा0 2 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि उसका लड़का मजदूरी से पांच हजार रुपए प्रतिमाह कमा लेता है।
23. इस प्रकार आवेदिका द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक हलवाई की दुकान पर कार्य करता है जिससे वह प्रतिमाह दस-बीस हजार रुपए प्रतिमाह कमा लेता है परन्तु आवेदिका द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अनावेदक किस हलवाई के यहां कार्य करता है। आवेदिका द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि अनावेदक पास जमीन है परन्तु आवेदिका द्वारा उक्त संबंध में भी कोई दस्तावेजी प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
24. इस प्रकार आवेदिका आवेदिका भूरीबाई अ0सा0 1 द्वारा अनावेदक की आय के संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि द0प्र0सं0 की धारा 125 में जो "पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति" वाक्य का प्रयोग किया गया है उसका अभिप्राय केवल प्रकट सम्पत्ति या यथासाध्य, सम्पदा, राजस्व या निश्चित रोजगार ही नहीं हैं उसमें कमाने की क्षमता का भी समावेश है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ एवं सक्षम शरीर वाला है तो यह माना जायेगा कि उसके पास अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिये पर्याप्त साधन हैं।
25. भरण पोषण के आदेश हेतु यह कर्तव्य आवश्यक नहीं है कि पति सम्पत्ति धारण करता हो जब तक पति शारीरिक रूप से स्वस्थ और कार्य करने तथा कमाने में सक्षम हो पत्नी को सहारा देना उसका कर्तव्य है चाहे वह दिवालिया, विधुप्त, अवयस्क, साधू या सन्यासी ही क्यों न हो। यह एक व्यक्तिगत दायित्व है जो विवाह के क्षण से ही पति के साथ युक्त हो जाता है। उक्त संबंध में आवेदक गण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत ओंकार कोंडले वि. श्रीमती कमलती वाई 2017 (3) सी.जी.एच.सी. 1430 भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि दं.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण पत्नी का पूर्ण अधिकार है तथा वह इस अभिवाक पर विफल नहीं किया जा सकता है कि पति के पास कोई काम नहीं है या भुगतान हेतु साधन नहीं हैं।
26. इस प्रकार यद्यपि प्रकरण में आवेदिका भूरीबाई अ.सा. 1 द्वारा अनावेदक की आय के संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनावेदक बंटी अना.सा.1 द्वारा स्वयं अपने कथन में यह व्यक्त किया गया है कि वह मजदूरी करके पांच हजार रुपए प्रतिमाह कमाता है। अनावेदक बंटी के उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि अनावेदक मजदूरी करने में सक्षम है एवं यदि अनावेदक महीने में 25 दिन भी मजदूरी करता है तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से

छः हजार दो सौ पचास रुपये प्रतिमाह कमाने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में यही माना जाएगा कि अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-04 //

27. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका भूरीबाई अ0सा0 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक उसे पैसे नहीं भेजता है। आवेदिका साक्षी मीराबाई अ0सा0 2 एवं रंजीत अ0सा0 3 द्वारा भी आवेदिका भूरीबाई अ0सा0 1 के उक्त कथन का समर्थन किया गया है तथा व्यक्त किया गया है कि अनावेदक भूरीबाई को पैसे नहीं देता है। अनावेदक की ओर से आवेदिका के उक्त कथनों का कोई खण्डन नहीं किया गया है बल्कि साक्षी रामवती अना0सा0 2 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसका लड़का अर्थात् अनावेदक भूरी को पैसे नहीं भेजता है।
28. इस प्रकार आवेदिका भूरीबाई अ.सा. 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है अनावेदक द्वारा उसका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है। अनावेदक की ओर से उक्त तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया है ना ही अनावेदक का ऐसा कहना है कि वह आवेदिका का भरण पोषण करता है। ऐसी स्थिति में आवेदिका द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि अनावेदक द्वारा आवेदिका का भरण पोषण नहीं किया जा रहा है।
29. आवेदिका भूरीबाई अनावेदक की विवाहिता पत्नी है। पति होने के नाते अनावेदक का यह धार्मिक एवं पुनीत कर्तव्य है कि वह आवेदिका की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखे एवं उसका भरण पोषण करे अनावेदक द्वारा अपने इस कर्तव्य के प्रति उपेक्षा बरती जा रही है अतएव आवेदिका को अनावेदक से भरण पोषण की राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। वर्तमान समय की मंहगाई आवेदिका के दैनिक खर्चे एवं अनावेदक की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका भूरीबाई को अनावेदक से पंद्रह सौ रुपये प्रतिमाह की राशि भरण पोषण के रूप में दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।
30. फलतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश दिनांक से आवेदिका भूरीबाई को पंद्रह सौ रुपये की राशि प्रतिमाह भरण पोषण के रूप में को अदा करें।

स्थान-गोहद

दिनांक-04.05.2018

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में पारित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)